शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, Right to Education Act 2009

इस अधिनियम का शीर्षक पूरी तरह से "बच्चों का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम" है। इसे अगस्त 2009 में संसद द्वारा पारित किया गया था। जब 2010 में अधिनियम लागू हुआ, तो भारत उन 135 देशों में से एक बन गया जहां शिक्षा हर बच्चे का मौलिक अधिकार है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम का विकास, Evolution of the RTE

संविधान में शिक्षा के अधिकार की स्पष्ट व्याख्या हेतु संविधान में कुछ संशोधन भी किये गये थे । शिक्षा के अधिकार अधिनियम के विकास निम्न प्रकार से हैं:

- 86वें संविधान संशोधन अधिनियम ने 2002 में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया।
- संशोधन के अनुसमर्थन के बाद, छह से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों को "उपयोगी और प्रासंगिक प्राथमिक शिक्षा" प्रदान करने के लक्ष्य के साथ, सर्व शिक्षा अभियान की स्थापना की गई थी।
- 93वें संविधान संशोधन अधिनियम ने 2006 में अनुच्छेद 15 में खंड (5) जोड़ा।
- इसने राज्य को सभी सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक प्रतिष्ठानों में विशिष्ट व्यवस्था करने की अनुमति दी, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर, जैसे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिए आरक्षण।
- सरकार ने शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम 2009 को लागू करके प्रतिक्रिया दी, जो सार्वभौमिक शिक्षा पर केंद्रित है और स्कूलों में गरीब बच्चों को शामिल करने का आदेश देता है।
- अधिनियम की धारा 12(1)(सी), विशेष रूप से, आर्थिक रूप से वंचित वर्गों और समूहों के छात्रों के लिए गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में 25% स्थान आरक्षित करने का प्रावधान करती है।

अन्य अनुच्छेद

International Organizations in Hindi Maulik Adhikar

Preamble of the Indian Constitution in Hindi

Khilafat Andolan

Vishwa Vyapar Sangathan

UNSC in Hindi

शिक्षा का अधिकार की संकल्पना, Concept of Right to Education

2009 में, शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) ने अनुच्छेद 21A के तहत बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को एक बुनियादी अधिकार के रूप में स्थापित किया।

शिक्षा के अधिकार से संबंधित समिति, Right to Education Committee

1990 में प्रकाशित राममूर्ति समिति की रिपोर्ट, शिक्षा के अधिकार को संबोधित करने वाला पहला औपचारिक दस्तावेज था। तपस मजूमदार समिति की स्थापना 1999 में हुई थी जिसका उद्देश्य संविधान में अनुच्छेद 21ए को शामिल करना था।

शिक्षा के अधिकार के संवैधानिक प्रावधान, Constitutional Provisions of Right to Education

शिक्षा के अधिकार की संविधान में व्याख्या निम्न अनुच्छेदों में की गयी है:

- अनुच्छेद 45 में निर्देशक सिद्धांतों के एक भाग के रूप में शिक्षा के अधिकार का उल्लेख है। इसमें उल्लेख है कि राज्य को 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिए।
- अनुच्छेद 21A को 86वें संशोधन के हिस्से के रूप में शामिल किया गया था, जिससे 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बन गया।

शिक्षा के अधिकार के तहत अल्पसंख्यक संस्थानों को छूट

- धार्मिक शैक्षणिक संस्थानों को 2012 में आरटीई अधिनियम से छूट दी गई थी।

- सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 15 (5) के तहत छूट की वैधता की जांच करते हुए आरटीई अधिनियम को 2014 (प्रमति मामले) में अल्पसंख्यक दर्जा वाले स्कूलों के लिए अनुपयुक्त माना।
- यह इस विश्वास पर आधारित था कि अधिनियम को अल्पसंख्यकों की अपनी पसंद की संस्थाओं को बनाने और उन्हें संचालित करने की क्षमता को प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) न्यायिक प्रक्रिया, RTE Judicial Process

सुप्रीम कोर्ट ने मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य मामले, 1992 में कहा कि शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक हिस्सा है। उन्नीकृष्णन जेपी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, 1993 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है। इसके अलावा यह भी उल्लेख किया गया है कि राज्य अकेले कार्य को पूरा नहीं कर सकता है, निजी शैक्षिक अल्पसंख्यक संस्थानों सहित संस्थानों को इसमें राज्य की सहायता करनी होगी।

शिक्षा के अधिकार (आरटीई) के प्रावधान

आरटीई अधिनियम के प्रावधानों को संक्षेप में नीचे वर्णित किया गया है। इस अधिनियम के तहत निम्न प्रावधान हैं:

- बच्चों को पड़ोस के एक स्कूल में अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार।
- अधिनियम यह स्पष्ट करता है कि 'अनिवार्य शिक्षा' का तात्पर्य है कि छह से चौदह वर्ष की आयु के बच्चों के प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करना सुनिश्चित करना सरकार की ओर से एक दायित्व है। 'फ्री' शब्द इंगित करता है कि बच्चे द्वारा कोई शुल्क देय नहीं है जो उसे ऐसी शिक्षा पूरी करने से रोक सकता है।
- अधिनियम में गैर-प्रवेशित बच्चे को उसकी उपयुक्त आयु की कक्षा में प्रवेश देने का प्रावधान है।
  इसमें बच्चे की शिक्षा सुनिश्चित करने में संबंधित सरकारों, स्थानीय अधिकारियों और माता-पिता के कर्तव्यों का उल्लेख है। यह केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय बोझ के बंटवारे को भी निर्दिष्ट करता है।
- यह छात्र शिक्षक अनुपात (पीटीआर), बुनियादी ढांचे और भवनों, स्कूल के कार्य दिवसों और शिक्षकों के लिए मानकों और मानदंडों को निर्दिष्ट करता है।
- इसमें यह भी कहा गया है कि शिक्षकों की नियुक्ति में शहरी-ग्रामीण असंतुलन नहीं होना चाहिए। यह अधिनियम जनगणना, चुनाव और आपदा राहत कार्यों के अलावा गैर-शैक्षिक कार्यों के लिए शिक्षकों के नियोजन पर रोक लगाने का भी प्रावधान करता है।
- अधिनियम में प्रावधान है कि नियुक्त शिक्षकों को उचित रूप से प्रशिक्षित और योग्य होना चाहिए।

- अधिनियम प्रतिबंधित करता है:
  - मानसिक प्रताड़ना और शारीरिक दंड।
  - बच्चों के प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया।
  - कैपिटेशन फीस।
  - शिक्षकों द्वारा निजी ट्यूशन।
  - बिना मान्यता के चल रहे स्कूल

शिक्षा के अधिकार - RTE का महत्व, Importance of RTE

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के पारित होने के साथ, भारत सभी के लिए शिक्षा को लागू करने की दिशा में अधिकार-आधारित दृष्टिकोण की ओर बढ़ गया है। यह अधिनियम राज्य और केंद्र सरकारों पर एक बच्चे के मौलिक अधिकारों (संविधान के अनुच्छेद 21ए के अनुसार) को निष्पादित करने के लिए कानूनी दायित्व डालता है।

शिक्षा के अधिकार की उपलब्धि

आरटीई अधिनियम उच्च प्राथमिक विद्यालयों (कक्षा 6-8) में नामांकन बढ़ाने में सफल रहा है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कड़े बुनियादी ढांचे के मानकों के परिणामस्वरूप स्कूल के बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ है। आरटीई के 25% कोटा नियम के तहत 33 लाख से अधिक विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया था। इसने पूरे देश में शिक्षा को अधिक समावेशी और सुलभ बना दिया। "नो डिटेंशन पॉलिसी" के उन्मूलन के परिणामस्वरूप प्राथमिक|

Related Articles:

- National Human Right Commission in Hindi
- Right to Information in Hindi
- United Nations Security Council Act in Hindi